न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 25 / 2024
अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रणवीर पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. छोटुराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमनगढ।
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजपाल उर्फ राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. विजयपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

6. वेदवन्ती पत्नी भूपसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
7. कविता पुत्री भूपसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. पुनम पुत्री भूपसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

तरतीबी–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा आिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनिया, अभिभाषक, गेरसायल
निर्णय दिनांक : 03/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 48 / 44 की कुल 6.5780हैक भूमि सायलान व तरतीबी गैरसायलान की मुश्तरका खाता में दर्ज रिकार्ड है रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89 / 89 की कुल 19.7340हैक भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान की भूमि रोही मोजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 48 / 44 की कुल 6.5780हैक भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता स्वीकृतशुद्वा नही है इसलिये फसल काश्त करने में काफी परेशानी होती है।

सायलान , तरतीबी गैरसायलान व गेरसायलान की आपस में चिपती हुई भूमि है इसलिये सायलान अपने गांव परलीका से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायलान संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89 / 89 के प0न0 352 / 421(47) के किला न0 1 के मिन पश्चिम दिशा की 1 बिश्वा व किला न0 10 के मिन [illegible] की 1 [illegible] होते हुए उत्तर से दक्षिण चलकर सायलान अपने खेत के प0न0 352 / 4[illegible](47) [illegible] कलिा न0 11 में प्रवेश कर करते है यह रास्ता सदामत से चा[illegible] [illegible] दर्ज करवा पाने के अधिकारी है सायलान को अपनी भूमि में [illegible] के लिये सबसे सुविधाजनक ए[illegible]दीकी रास्ता है इसलिये यह रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना [illegible] है तथा रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मे जितनी भूमि आती है उतनी भूमि गैरसायलान के चिपते हुए गैरसायलान को देने को तैयार है

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मोजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89/89 के प0न0 352/421(47) के किला न0 1 के मिन पश्चिम दिशा की 1 बिश्वा व किला न0 10 के मिन पश्चिम की 1 बिश्वा भूमि (उत्तर स दक्षिण दिशा में चलकर) में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमावे सायल इस रास्ता की भूमि के बदले अपनी कृषि भूमि रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 48/44 जो गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के चिपती हुई है गेरसायल को देने के लिए तेयार है।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायलान का एकल खेत है जिसमें प0न0 352/421(47) के किला न0 1 व 10 मे से सायलान का कभी भी आवागमन नही रहा इसलिये आपसी नाराजगी होने की वजह से गैरसायलान के खेत के दो टुकडे करने के लिए प0न0 352/421(47) के किला न0 1 व 10 में से रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है

सायलान गांव परलीका से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होने हुए सायल न0 1 के भाई मनीराम पुत्र सुरजाराम के खेत चक 18 एनटीआर के प0न0 351/421(48) के किला न0 5/2 ,6, 15, 16 के पूर्व साईड में खाला बना हुआ है उक्त खाता के चिपते हुए पश्चिमी साईड में किला न0 5/2 ,6 से होते हुए किला न0 15 में घुमकर अपने खेत के प0न0 352/421(47) के किला न0 11 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सायलान को अपने भाई बटवारा में दिया हुआ है एवं इसी रास्ता से हमेशा से आवागमन करते आ रहे है गेरसायलान के खेत में से सायलान का कभी भी आवागमन नही रहा एव ना ही अब है सिर्फ गैरसायलान उतरादाता को तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है।

सायलान सायल न0 1 के भाई मनीराम पुत्र सुरजाराम के खेत चक 18 एनटीआर के प0न0 351/421 (48) के किला न0 5/2 ,6, 15 ,16 ,के पूर्व साई में खाला बना हुआ है उक्त खाला के चिपते हुए पश्चिमी साईड में किला न0 5/2 ,6 से होते हुए किला न0 15 मे घुमकर अपने खेत प0न0 35221(47) के कला न0 11 मे प्रवेश कर जाते है इसी रास्ता से हमेशा से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है इसलिये सायलान की इच्छा अनुसार रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है जो चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है खारिज फरमावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया गया मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान एव गैरसायलान संख्या 1 ता 4 दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है सायलान को स्वीकृत शुद्वा रास्ता से अपने खेत तक पहुचने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायलान को फसल काश्त करने में परेशानी होती है सायलान अपनी भूमि में रोही मोजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89/89 के प0न0 352/421(47) के कि[illegible] के मिन पश्चिम दिशा की 1 बिश्वा व किला न0 10 के मिन प[illegible] दक्षिण दिशा में चलकर) में से होते हुए अपनी खाते[illegible] है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता है जिसे स्वीकृत करवाने के [illegible]धिकारी है गैरसायलान ने जो रास्ता अपने जबाब में अंकित किया गया है वह अधिक दुरी पर है एवं घुमावदार रास्ता है जो अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दुरी पर है व एक से अधिक काश्तकारो के खेत में से रास्ता स्वीकृत करवाना होगा जबकि सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ताा दो किलो में है और सीधा सायालान के खेत में पहुचता है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकार फरमावे।

गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायलान गांव परलीका से चलकर स्वीकृतशुद्दा रास्ता से होने हुए सायल न0 1 के भाई मनीराम पुत्र सुरजाराम के खेत चक 18 एनटीआर के प0न0 351/421(48) के किला न0 5/2 ,6, 15, 16 के पूर्व साईड में खाला बना हुआ है उक्त खाता के चिपते हुए पश्चिमी साईड में किला न0 5/2 ,6 से होते हुए किला न0 15 में घुमकर अपने खेत के प0न0 352/421(47) के किला न0 11 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सायलान को अपने भाई बटवारा में दिया हुआ है एवं इसी रास्ता से हमेशा से आवागमन करते आ रहे है गेरसायलान के खेत में से सायलान का कभी भी आवागमन नही रहा एव ना ही अब है सिर्फ गैरसायलान उतरादाता को तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया

की रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 48/44 की कुल 6.5780हैक्‍ भूमि सायलान व तरतीबी गैरसायलान की मुश्तरका खाता में दर्ज रिकार्ड है रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89/89 की कुल 19.7340हैक्‍ भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान ने अपनी खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये रोही मोजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89/89 के प0न0 352/421(47) के किला न0 1 के मिन पश्चिम दिशा की 1 बिश्वा व किला न0 10 के मिन पश्चिम की 1 बिश्वा भूमि (उत्तर स दक्षिण दिशा में चलकर) रास्ता स्वीकृत करवाने का पेश किया गया है

गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को विरोध है कि उक्त रास्ता कभी भी चालू नही रहा है वर्तमान में सायलान अपने भाई मनीराम पुत्र सुरजाराम के खेत चक 18 एनटीआर के प0न0 351/421(48) के किला न0 5/2 ,6, 15, 16 के पूर्व साईड में खाला बना हुआ है उक्त खाता के चिपते हुए पश्चिमी साईड में किला न0 5/2 ,6 से होते हुए किला न0 15 में घुमकर अपने खेत के प0न0 352/421(47) के किला न0 11 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सायलान को अपने भाई बटवारा में दिया हुआ है एवं इसी रास्ता से हमेशा से आवागमन करते आ रहे है गेरसायलान के खेत में से सायलान का कभी भी आवागमन नही रहा एव ना ही अब है सिर्फ गैरसायलान उतरादाता को तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है

गेरसायलान का आक्षेप/विरोध स्वीकार योग्य नही है क्योकि गेरसायलान ने जो रास्ता अपने जबाब में अंकित /व्यक्त किया जा रहा है वह दो से अधिक किलो में है वह भी सायलान की खातेदारी भूमि तक नही पहुचता है केवल सायलान के भाई के खेत तक पहुचता है जहॉ से मागे गये रास्ते से जाना व्यक्त किया गया है जो उचित नही है।

सायलान ने अपने खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृतशुद्दा रास्ता से दो किलो में सीधा रास्ता चाहा गया है जो सायलान के खेत तक पहुचता है सायलान ने मु0न0 47 के किला न0 11 में प्रवेश करने के लिये मु0न0 47 के किला न0 1 ,10 में से रास्ता चाहा गया जा रहा है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नजरीय न[illegible] अनुसार प्रार्थीगण के खेत के निकटतम दुरी पर प0न0 352/421(47) किला न0 1 [illegible] 3/1 ,4/1 ,5/1 में स्वीकृतशुद्दा रास्ता चल रहा है तथा प्रा[illegible] निकटतम दुरी पर स्वीकृतशुद्दा व आवगमन के सुविधाजनक रास्ता प0न0 352/421(47) [illegible] किला न0 1/2 ,10 में है इसके पास के मुरब्बा न0 48 में मौके पर खाला है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है तथा प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..3

को रास्ता दिया जाना आवश्यक है उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोइ रास्ता सुविधाजनक उपलब्ध नही है।

हॉ यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में सायलान ने जो रास्ता चाहा गया है वह स्वीकृतशुद्दा रास्ता से केवल दो किला की दुरी पर सीधा रास्ता है मौके पर चल रहे खाला के पास से चाहा जा रहा है जो विधि सम्मत है गैरसायलान के द्वारा व्यक्त किया गया रास्ता दो से अधिक किलों की दुरी पर है वह भी सीधा सायलान के खेत में नही पहुचता है जबकि सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता दो किलो में ही है अर्थात छोटा रास्ता चाहा जा रहा है जो विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे छोटा एवं मौका स्थिति अनुसार उपयुक्त है जिससे अन्य काश्तकारों के हित भी प्रभावित नही होते है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 89/89 के प0न0 352/421(47) के किला न0 1 के मिन पश्चिम दिशा की 1 बिश्वा व किला न0 10 के मिन पश्चिम की 1 बिश्वा भूमि (उत्तर से दक्षिण दिशा) में रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायलान गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:08 IST
Reason: SelfAttested